AICTE का नया विनियमन

[स्रोत: द हिंदू](#)

हाल ही में [अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद](#) **(All India Council for Technical Education- AICTE)** ने वर्ष 2024-25 से शुरू होने वाले बैचलर ऑफ बिज़िनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (BCA) जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों के लिये नए नियमों की घोषणा की है।

नए विनियमों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **विनियमन विस्तार:**
  - तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा में समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिये कंप्यूटर एप्लीकेशन (BCA) एवं प्रबंधन (BBA/BMS) में स्नातक (UG) **पाठ्यक्रम AICTE के अंतर्गत आएंगे।**
  - इंजीनियरिंग कॉलेजों को अब पारंपरिक इंजीनियरिंग विषयों से परे अपना दायरा बढ़ाते हुए BBA और BCA कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।
- **संस्थागत लचीलापन:**
  - अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक 3 वर्ष के लिये अनुमोदन के विस्तार का प्रावधान किया जाएगा।
  - वर्तमान में सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष मंज़ूरी के लिये दोबारा आवेदन करना पड़ता है।
- **कामकाजी पेशेवरों के कॅरियर में उन्नति:**
  - चयनित संस्थानों के लिये लचीले अध्ययन समय की शुरुआत की गई है ताकि डिप्लोमा स्नातकों जैसे कामकाजी पेशेवरों को इंजीनियरिंग डिग्री में पार्श्व प्रवेश की अनुमति मिल सके। यह विस्तारित अध्ययन अवधि की अनुमति देकर उनकी कार्य प्रतिबद्धताओं को समायोजित करता है।
- **व्यावसायिक उन्नयन पहल:**
  - AICTE ने शैक्षिक उन्नयन के इच्छुक कामकाजी पेशेवरों के लिये डिप्लोमा, इंजीनियरिंग UG और PG डिग्री में सीमित सीटों की पेशकश करने वाले 300 से अधिक संस्थानों की पहचान एवं चयन किया है।
  - उपयुक्त संस्थानों की कमी वाले क्षेत्रों के लिये रैंकिंग मानदंडों में छूट प्रदान की गई है।
- **क्षेत्रीय भाषा का समावेशन:**
  - AICTE ने तकनीकी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये **13 क्षेत्रीय भाषाओं** में इंजीनियरिंग सहित अन्य शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की हैं।
- **पॉलिटेक्निक कॉलेजों को स्वायत्तता एवं उद्योग के बीच सहयोग:**
  - AICTE पॉलिटेक्निक कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान कर रहा है, डिग्री जारी करने के लिये उद्योगों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है तथा रोज़गार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है व प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान कर रहा है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) क्या है?

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एक वैधानिक निकाय तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है।
- इसकी **स्थापना नवंबर 1945** में राष्ट्रीय स्तर की **शीर्ष सलाहकार संस्था** के रूप में की गई थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-regulation-of-aicte